राजस्थान–सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर–302015

फोन नम्बर 0141–2988946, 2973804 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / काउन्सलिंग / 2018 / 2177 **दिनांकः–** 12-07-18

प्रधानाचर्य,
समस्त पैरा मेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

सोसायटी ऑफ प्राइवेट इन्सटीट्यूट
बी–137 / बी, सेठी कॉलोनी,
नीयर ट्रांसपोर्ट नगर, ओवर ब्रीज,
आगरा रोड़ जयपुर, पिन नं. 302004 ।

पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान
सी–18 गिरधारीपुरा,
जयपुर, पिन नं. 302021 ।

विषयः– सत्र 2018–19 में प्रवेश प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। जिसके क्रम में पैरा मेडिकल कोर्सेज का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इच्छूक अभ्यर्थी प्रवेश हेतु राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल की वेबसाईट (www.rajasthanparamedicalcouncil.org) पर जाकर स्वंय अथवा ई–मित्र कियोस्क पर जाकर आवेदन कर सकते है।

पैरा मेडिकल महाविद्यालयों / संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित समस्त कार्यवाही पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा ही की जायेगी, आपके संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में कोई भूमिका अपेक्षित नहीं है। प्रवेश व काउन्सलिंग की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन है तथा छात्र स्वंय अपने स्तर से अथवा इस हेतु निर्धारित ई–मित्र कियोस्क पर जाकर ऑन लाईन आवेदन कर सकते है। यदि किसी भी विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में आपसे सम्पर्क किया जाता है तो आप उसे उक्त प्रक्रिया से अवगत करा सकते है लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपके द्वारा किसी छात्र से प्रवेश हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, यदि आपके द्वारा किसी भी छात्र से पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन स्वीकार किये जाते है तो यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अवमानना की श्रेणी में आयेगा तथा न केवल परिषद् द्वारा अवमाना की कार्यवाही की जायेगी, बल्कि परिषद् द्वारा आपकी संस्था के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

इसे पूर्ण गम्भीरता से लेते हुए प्रवेश की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायें।

रजिस्ट्रार